आवंटन,
आयोजनागत–अनुदान सं0–83
तेरह अंको का कोड–2515007890401

प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

सेवा मे,

समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी,
(सन्तरविदासनगर जनपदों को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

संख्या– 1/1639/2013–1/07/2012 : लखनऊः दिनांक 1 फरवरी, 2013

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष सफाई कर्मचारियों के वेतनादि के भुगतान हेतु अनुदान संख्या–83 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत –789–अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना– 04–पंचायतीराज संस्थायें–0401–सफाई कर्मचारी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–318/26ब0प्र0–2012–25/2012, दिनांक 16 अगस्त, 2012 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के सफाई कर्मचारियों के अधिष्ठान मद में व्यय हेतु संलग्न तालिका के अनुसार **₹ 999392813/–(₹ निन्यानबे करोड़ तिरान्वे लाख बानवे हज़ार आठ सौ तेरह मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय केवल अनुसूचित जाति के सफाई कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए किया जायेगा। इससे इतर व्यय के लिए आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होगें, धनराशि व्यय के सम्बन्ध में वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी0–1–1515/दस–2012–231/12 दिनांक 09 जुलाई, 2012 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2– उक्त धनराशि का व्यय एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए योजना आयोग भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा दिशा निर्देशो के अनुसार किया जायेगा।

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

4– वेतन भत्ते आदि का आहरण केवल सृजित पदों के सापेक्ष ही किया जाय। नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। आहरण तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जाये। यह भी ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र किसी भी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत वित्तीय नियमों/निर्देशों का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

5– सामान्यतः बिना निदेशालय की अनुमति प्राप्त किये कोषागार नियम 27 से कोई आहरण न किया जाय।

6– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह बी0एम0–4 पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरें जाए तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाय।

7– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुक्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाय।

8– यदि बी0एम0–4 पर सूचना नियमित एवं समयबद्ध रूप से नहीं भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी जिम्मेदार होगा।

9– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जाती है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा। धनराशि समर्पित करते समय पर्याप्त औचित्य अवश्य अंकित करें अन्यथा समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

10— एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाय। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

11— यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाय। ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बंकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनागत शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

12— उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या—83 के अधीन लेखाशीर्षक —2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—आयोजनागत—789—अनुसूचित जाति के लिये विशेष घटक योजना— 04—पंचायतीराज संस्थायें—0401—सफाई कर्मचारी के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

13— शासकीय व्यय की मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या—सी0ए0—934 / दस—2008—मित—1— 2007 दिनांक 2—9—2008 का विशेष रूप से पालन किया जाय।

14— नवसृजित जनपद भीमनगर (सम्भल), प्रबुद्धनगर (शामली) एवं पंचशीलनगर (हापुड़) में उक्त अधिष्ठान मद से आहरित सफाई कर्मचारियों का वेतन उनके पूर्व / मूल जनपद के जिला पंचायत राज अधिकारियों द्वारा आहरित कर सम्बन्धित कर्मचारियों को भुगतान किया जायेगा।

15— संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि व्यय का लेखा जोखा रखेंगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें:—

1— कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0—4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2— वर्ष 2012—13 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 15—2—2013 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ संख्या—81 पर अंकित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(वी0पी0 सिंह)
निदेशक,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1 / 1639 / 1 / 2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
2—प्रमुख सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—2 उ0प्र0 शासन।
3—महालेखाकार सी0पी0 सी0—2 उ0प्र0 इलाहाबाद।
4—महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
5—वरिष्ठ उपमहालेखाकार / स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15—ए, महर्षि दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6—विशेष सचिव बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन।
7—समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8—समस्त मण्डलीय उप निदेशक, (पं0), उत्तर प्रदेश।
9—तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या–1/1639/2013–1/07/2012 दिनांक 02 ~~जनवरी~~ फरवरी, 2013 का संलग्नक

वित्तीय वर्ष 2012–13

2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना– 04–पंचायतीराज संस्थायें–0401 सफाई कर्मचारी के अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) (धनराशि ₹ में)

क0सं0	जनपद का नाम	01 वेतन	03–मंहगाई भत्ता	06–अन्य भत्ता	08–कार्यालय व्यय	19–विज्ञापन एवं विख्यापन व्यय	49–चिकित्सा व्यय	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	सहारनपुर	15837736	12079874	1968632	0	0	0	29886242	**172509210**
2	मुजफ्फरनगर	0	544543	0	0	0	0	544543	**68025291**
3	मेरठ	5498604	4193935	683477	0	40332	0	10416348	**59999822**
4	बुलन्दशहर	0	771081	0	0	0	0	771081	**96282115**
5	अलीगढ़	8832864	6737067	1097926	0	0	0	16667857	**96255584**
6	मथुरा	8715874	6647836	1083383	0	0	0	16447093	**94982039**
7	आगरा	8013924	6112439	996131	0	0	0	15122494	**87340755**
8	मैनपुरी	6712392	5119725	834351	0	0	0	12666468	**73172532**
9	एटा	7867684	6000898	977953	0	0	0	14846535	**85748814**
10	बरेली	17564692	12997873	2183292	0	0	0	32745857	**191308509**
11	बिजनौर	9973532	7607086	1239710	0	0	0	18820328	**108672661**
12	बदायू	15004172	11444092	1865019	0	0	0	28313283	**163435192**
13	मुरादाबाद	17431748	13295670	2166766	0	0	0	32894184	**189861302**
14	शाहजहांपुर	0	495621	0	0	0	0	495621	**61922871**
15	पीलीभीत	0	765763	0	0	0	0	765763	**95618813**
16	रामपुर	9022976	6882071	1121556	0	0	0	17026603	**98325095**
17	फर्रूखाबाद	0	672171	0	0	0	0	672171	**83944631**
18	इटावा	6697768	5108571	832533	0	0	0	12638872	**73013342**
19	कानपुर नगर	9900412	7551315	1230622	0	0	0	18682349	**107876697**
20	फतेहपुर	11801526	9001346	1466930	0	0	0	22269802	**128571833**
21	इलाहाबाद	0	1601722	0	0	0	0	1601722	**199890480**
22	झांसी	2617686	1996582	325379	0	0	0	4939647	**28598383**
23	जालौन	10383002	7919399	1290608	0	0	0	19593009	**113130076**
24	हमीरपुर	5279244	4026624	656211	0	0	0	9962079	**57571585**
25	बांदा	7063366	5387423	877976	0	0	0	13328765	**77040194**
26	वाराणसी	10967960	8365562	1363318	0	0	0	20696840	**119497811**
27	मिर्जापुर	16478000	11864160	1790400	90277	85000	0	30307837	**30307837**
28	जौनपुर	22334760	16527722	2776212	0	11204	0	41649898	**243245711**
29	गाजीपुर	10441498	8608448	1297879	0	0	0	20347825	**231269953**
30	बलिया	23427566	17224413	2912047	0	0	0	43564026	**137627482**
31	गोरखपुर	0	1176298	0	0	0	0	1176298	**146826015**
32	बस्ती	0	1707014	0	0	0	0	1707014	**213023938**
33	आजमगढ़	0	2034591	0	0	0	0	2034591	**253883577**
34	देवरिया	0	1323069	0	0	0	0	1323069	**165133261**
35	लखनऊ	6156682	4695869	765276	0	0	0	11617827	**67123190**
36	उन्नाव	14433836	11009082	1794126	0	0	0	27237044	**157226642**
37	रायबरेली	4197072	3201223	521697	0	49751	0	7969743	**45947520**
38	सीतापुर	17256260	13161820	2144954	0	0	0	32563034	**187988779**

अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत) (धनराशि ₹ में)

क०सं०	जनपद का नाम	01 वेतन	03–महगाई भत्ता	06–अन्य भत्ता	08–कार्यालय व्यय	19–विज्ञापन एवं विख्यापन व्यय	49–चिकित्सा व्यय	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
39	हरदोई	6785512	5175496	843440	0	0	0	12804448	**73968510**
40	खीरी	0	404153	0	0	0	0	404153	**50514017**
41	फैजाबाद	9695676	7395157	1205173	0	0	35279	18331285	**105683261**
42	गोण्डा	8584256	6547448	1067024	0	0	0	16198728	**93549285**
43	बहराइच	7750692	5911665	963412	0	0	85191	14710960	**84560457**
44	सुल्तानपुर	4767406	3636231	592589	0	0	0	8996226	**51999814**
45	प्रतापगढ़	16612806	12671040	2064972	0	0	0	31348818	**181060032**
46	बाराबंकी	16744422	12771428	2081333	0	0	0	31597183	**182379209**
47	ललितपुर	0	549861	0	0	0	0	549861	**68688594**
48	गाजियाबाद	5425484	4138165	674389	0	0	0	10238038	**59201056**
49	कानपुर देहात	9534814	7272463	1185178	0	0	0	17992455	**103896867**
50	मऊ	0	1264573	0	0	0	0	1264573	**157836894**
51	सिद्वार्थ नगर	18294560	13953761	2274015	0	0	0	34522336	**199253701**
52	फिरोजाबाद	0	614738	0	0	0	0	614738	**76780921**
53	सोनभद्र	9271582	7071689	1152457	0	0	0	17495728	**101031378**
54	महाराज गंज	8981762	6646505	1116433	0	0	0	16744700	**97876450**
55	महोबा	3612114	2755059	448985	0	0	0	6816158	**39423532**
56	संतरविदासनगर	0	0	0	0	0	0	0	**0**
57	कुशीनगर	12781330	9748670	1588719	0	36124	0	24154843	**139273916**
58	अम्बेडकर नगर	5717962	4361246	710743	0	0	0	10789951	**62347379**
59	गौतमबुद्वनगर	0	247811	0	0	0	0	247811	**31012823**
60	चन्दौली	0	935934	0	0	0	0	935934	**116844599**
61	हाथरस	5410860	4127011	672570	0	20000	27431	10257872	**59051754**
62	बलरामपुर	6434538	4907799	799814	0	0	0	12142151	**70147870**
63	सन्त कबीर नगर	14872556	11343705	1848659	0	0	0	28064920	**162002453**
64	औरैया	2632310	2007735	327196	0	0	0	4967241	**28757585**
65	कौशाम्बी	8555010	6525140	1063388	0	0	0	16143538	**93230907**
66	बागपत	0	219094	0	0	0	0	219094	**27430968**
67	कन्नौज	6493032	4952413	807085	0	0	0	12252530	**70784640**
68	श्रावस्ती	4226320	3223529	525333	0	0	0	7975182	**46109661**
69	ज्योतिबाफूलेनगर	7999298	6101284	994314	0	0	0	15094896	**87181549**
70	चित्रकूट	2047352	1561572	254486	0	0	0	3863410	**22389849**
71	काशीरामनगर	0	312687	0	0	0	0	312687	**39105151**
72	छत्रपति शाहूजी महाराजनगर	9022976	6882071	1121556	0	0	0	17026603	**98325095**
		522167466	**412097131**	**64647627**	**90277**	**242411**	**147901**	**999392813**	**7493899719**

(₹ निन्यानबे करोड़ तिरान्वे लाख बानबे हजार आठ सौ तेरह मात्र)

(राम देव सिंह)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज, उ0प्र0।